भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(बांडों का निर्गम और प्रबंध)
विनियमावली, 1983

The Export-Import Bank of India
(Issue and Management of Bonds)
Regulations, 1983

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(बांडों का निर्गम और प्रबंध)
विनियमावली, 1983.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, (1981 का 28) की धारा 39 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रयुक्ति :

1. (1) यह विनियमावली भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बांडों का निर्गम और प्रबंध) विनियमावली, 1983 कहलाएगी.

1. (2) यह विनियमावली भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 12 की उपधारा (61) के खण्ड (क) के अधीन एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी किए गए और बेचे गए बांडों पर लागू होगी.

2. परिभाषाएं :

२. इस विनियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, -

२. (क) "अधिनियम" से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 अभिप्रेत है;

१. (ख) "बांडों" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एक्ज़िम बैंक द्वारा निर्गमित अथवा बेचे गए बांड अभिप्रेत हैं;

१. (ग) "एक्ज़िम बैंक" से उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत है;

२. (घ) "विरूपित बांड" से वह बांड अभिप्रेत है, जिसके महत्वपूर्ण भाग अपाठ्य और अस्पष्ट हो गए हों और महत्वपूर्ण भाग वे होते हैं, जहां :-

१. (घ) (i) बांड की संख्या, उससे सम्बन्धित निर्गम और उसका अंकित मूल्य, अथवा ब्याज की अदायगी दर्ज की गई हो; अथवा

1. (घ) (ii) पृष्ठांकन अथवा प्रापकर्ता का नाम लिखा गया हो; अथवा

1. (घ) (iii) नवीकरण रसीद या अंतरण-ज्ञापन दिया गया हो;

१. (ङ) "फार्म" से इस विनियमावली की अनुसूची में निर्धारित फार्म अभिप्रेत है;

१. (च) "खोया हुआ बांड" से वह बांड अभिप्रेत है जो वास्तव में खो गया हो और वह बांड अभिप्रेत नहीं है जो धारक से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो;

१. (छ) "विकृत बांड" से वह बांड अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग विकृत, फटे या बिगड़े हों;

१. (ज) "निर्गम कार्यालय" से एक्ज़िम बैंक का वह कार्यालय अथवा बैंकरों अथवा अभिकर्ताओं का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी बहियों में बांड की रजिस्ट्री की गयी हो या की जाएगी;

१. (झ) "प्राधिकृत अधिकारी" से एक्ज़िम बैंक के कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक, उप महा प्रबंधक या ऐसा अधिकारी (ऐसे अधिकारी) अभिप्रेत है (हैं) जिसे/जिन्हें एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष और/अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्रधिकृत किया गया हो/किये गये हों

१. (ट) "स्टॉक प्रमाणपत्र" से विनियम 3 के अधीन जारी किया गया; स्टॉक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है.

२. बांड का रूप तथा उसके हस्तांतरण का ढंग, आदि :

२. (1) बांड निम्नलिखित रूप में निर्गमित किया जा सकता है -

(क) किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय वचनपत्र के रूप में; या

(ख) एक्ज़िम बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक जिनके लिए स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किए गए हों.

२. (2). (क) वचनपत्र के रूप में जारी किया गया बांड आदेश पर देय वचनपत्र की तरह बेचान और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकेगा.

(ख) वचनपत्र के रूप में जारी किए गए बांड पर की गयी कोई लिखावट, बेचान के उद्देश्य के लिए वैध नहीं होगी, यदि ऐसी लिखावट का अभिप्राय बांड द्वारा अभिहित रकम के केवल एक अंश के हस्तांतरण से हो.

(३) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया गया और एक्ज़िम बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत बांड फार्म I में हस्तांतरण - दस्तावेज़ का निष्पादन कर या तो पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरित किया जाएगा. ऐसे मामले में जब तक हस्तांतरी का नाम एक्ज़िम बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता तब तक हस्तांतरक को स्टॉक के रूप में जारी किए गए हस्तांतरण से संबंधित बांडों का धारक माना जाएगा.

(4) (क) इसमें निहित किसी बात के विपरीत होते हुए भी एक्ज़िम बैंक, बांडों के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर एक्ज़िम बैंक में रखे गए खाते में बांडों के हकदार व्यक्ति के नाम एक प्रविष्टि के रूप में बांड जारी कर सकेगा.

(ख) एक्ज़िम बैंक के खाता बहियों में प्रविष्टि के रूप में ऐसे बांडों को या तो बांडों के अभिदान के समय, आरंभ में ही अथवा बाद में, जारी किए गए बांडों को वचनपत्र अथवा स्टॉक के रूप में परिवर्तन द्वारा जारी किया जा सकेगा.

(ग) यदि बांड पहले ही वचनपत्र के रूप में जारी किया गया है तो बांड धारक इसे एक्ज़िम बैंक के पास किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण करना चाहता है तो उसे फार्म II में आवेदन करना होगा तथा एक्ज़िम बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में रखने के लिए एक्ज़िम बैंक के पक्ष में विधिवत् बेचान बांड को अभ्यर्पित करना होगा

(घ) यदि बांड स्टॉक प्रमाण के रूप में जारी किया गया है तो धारक इस अनुरोध के साथ एक्ज़िम बैंक के पक्ष में बांड का हस्तांतरण करेगा कि बांड को एक्ज़िम बैंक द्वारा रखे जा रहे खाते में प्रविष्टि के रूप में धारक के नाम में रखा जाए.

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो बांडों को एक्ज़िम बैंक द्वारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण करता है वह फार्म III में आवेदन करके बांडों को वचनपत्र अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में हस्तांतरण करा सकता है.

(४) (च) एक्ज़िम बैंक की बहियों के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बांड जारी करने अथवा वचनपत्र या एक्ज़िम बैंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में स्टॉक अथवा इसके विपरीत पहले से जारी बांडों के परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी

(४) (छ) जारी किए गए अथवा एक्ज़िम बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित बांड फार्म IV में हस्तांतरण लिखत निष्पादन द्वारा हस्तांतरणीय होंगे. ऐसे मामलों में हस्तांतरणकर्ता को ही बांडों का धारक समझा जाएगा जिससे हस्तांतरण उस समय तक संबंधित है जब तक कि एक्ज़िम बैंक की बहियों में हस्तांतरी का नाम दर्ज किया जाए.

(5) (क) बांड एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर में जारी किया जाएगा और वह मुद्रित, उत्कीर्णित, लिथो किया हुआ या एक्ज़िम बैंक के निदेशानुसार किसी दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अंकित रहेगा.

(५) (ख) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्णित, लिथो किया हुआ या दूसरे प्रकार से अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होगा मानो वह हस्ताक्षरकर्ता के अपने ही उचित हस्तलेख में अंकित किया गया हो.

(6) वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांड का कोई भी बेचान या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में रहने वाले बांड के मामले में हस्तांतरण की कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा/होगी जब तक उसका निष्पादन वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांड के मामले में बांड के ही पीछे और स्टॉक प्रमाणपत्र के मामले में हस्तांतरण लिखत पर धारक या उसके विधिसम्मत अटार्नी या प्रतिनिधि के अंकित हस्ताक्षर के साथ न कर दिया गया हो.

4. न्यास जो मान्यता प्राप्त नहीं है :

4.(1) जिस बांड पर धारक का पूर्ण अधिकार न होगा उसके संबंध में बांड के बारे में धारक में उसके पूर्ण अधिकार से भिन्न किसी न्यास या किसी अधिकार को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए एक्ज़िम बैंक बाध्य या विवश नहीं होगा भले ही उसे इसकी सूचना प्राप्त हुई हो.

4.(2) उप विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक्ज़िम बैंक अनुग्रह के तौर पर और अपनी किसी देयता के बिना स्टॉक के रूप में जारी किए गए बांड के धारक द्वारा स्टॉक के ब्याज या पूर्णावधि मूल्य की अदायगी या स्टॉक के हस्तांतरण के संबंध में दिए गए किसी निदेश या स्टॉक से संबंधित ऐसी दूसरी बातों को जिन्हें एक्ज़िम बैंक उचित समझे, अपनी बहियों में दर्ज कर सकता है.

5. स्टॉक प्रमाणपत्र के रुप में जारी किए गए बांडों के न्यासियों और पदधारियों द्वारा धारित किए जाने के संबंध में उपबंध :

5.(1) कोई पदधारी स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में रहनेवाले किसी बांड को --

5.(1) (क) एक्ज़िम बैंक की बहियों में या स्टॉक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में अर्थात अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में अथवा ऐसी किसी योग्यता के बिना ही न्यासी रूप में दिए हुए अपने वैयक्तिक नाम पर, अथवा

५.(1) (ख) अपने पद के नाम पर धारण कर सकेगा.

5.(2) जिस व्यक्ति के नाम पर बांड हो उसके एक्ज़िम बैंक द्वारा अपेक्षित फार्म में एक्ज़िम बैंक को लिखित रूप में आवेदन करने पर और बांड को अभ्यर्पित करने पर, एक्ज़िम बैंक –

5.(2) (क) उसे अपनी बहियों में निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना ही न्यासी के रूप में दर्ज कर सकता है और न्यास के विनिर्देश के साथ या विनिर्देश के बिना, यथास्थिति, न्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम पर स्टॉक प्रमाणपत्र जारी कर सकता है; या

५.(2) (ख) उसे उसके पद के नाम पर स्टॉक प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और उसे अपनी बहियों में आवेदक की प्रार्थना के अनुसार उसके पद के नाम पर स्टॉक के धारक के रूप में उल्लिखित करते हुए दर्ज कर सकता है बशर्ते कि

5.(2) (ख) (i) उक्त प्रार्थना इस विनियमावली के उप विनियम [1] के उपबंधों के अनुरूप हो;

5.(2) (ख) (ii) उप विनियम (7) के अनुसरण में निगम द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रमाण पेश किया गया हो; और

5.(2) (ख) (iii) यदि बांड वचनपत्र के रूप में हो तो उसका एक्ज़िम बैंक के नाम बेचान किया गया हो और यदि बांड स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में हो तो उसके लिए रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा फार्म V में रसीद दी गयी हो.

5.(3) उप विनियम (1) के अधीन स्टॉक प्रमाणपत्र पदधारी द्वारा या तो अकेले या दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा.

5.(4) जब कोई स्टॉक किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के नाम पर धारित किया जाता हो तब संबंधित किसी दस्तावेज़ का निष्पादक फिलहाल पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उस नाम पर जिस पर स्टॉक प्रमाणपत्र का धारण किया गया हो, इस प्रकार किया जा सकेगा मानो उसका व्यक्तिगत नाम इस प्रकार बताया जाता हो.

5.(5) यदि एक्ज़िम बैंक की बहियों में न्यासी या पदधारी के रूप में उल्लिखित स्टॉक प्रमाणपत्र धारक द्वारा निष्पादित प्रतीत होनेवाला कोई हस्तांतरण –विलेख अभिकरण – पत्र या दूसरा दस्तावेज़ एक्ज़िम बैंक को पेश किया जाता है तो एक्ज़िम बैंक को इस बात की जाँच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या स्टॉक धारक किसी न्यास या दस्तावेज़ या नियमों की शर्तों के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने अथवा ऐसा विलेख या दूसरा दस्तावेज़ निष्पादित करने का अधिकारी है, और एक्ज़िम बैंक ऐसे हस्तांतरण विलेख, अभिकरण – पत्र या दस्तावेज़ पर उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा मानो निष्पादक स्टॉक प्रमाण धारक हो, चाहे हस्तांतरण – विलेख अभिकरण पत्र या दस्तावेज़ में स्टॉक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी का पदधारी के रूप में उल्लिखित किया गया हो या नहीं और चाहे वह न्यासी या पदधारी की अपनी हैसियत से हस्तांतरण – विलेख, अभिकरण-पत्र या दस्तावेज़ में स्टॉक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी का पदधारी के रूप में उल्लेख किया गया हो या नहीं और चाहे वह न्यासी या पदधारी की अपनी हैसियत से हस्तांतरण – विलेख, अभिकरण-पत्र या दस्तावेज निष्पादित करने के लिए उद्दिष्ट हो अथवा नहीं.

5.(6) इन विनियमों की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि किसी न्यास या दस्तावेज़ या नियमों के अधीन आनेवाले न्यासियों और पदधारियों में सोच या न्यासियों या पदधारियों और हिताधिकारियों में से किसी न्यासी या पदधारी को न्यास का गठन करने वाले अधिकारपत्र की शर्तों को न्यास पर लागू करने वाली विधि के नियमों या उस संस्था के नियमोंजिसका स्टॉक प्रमाणपत्र–धारक पदधारी हो, के सिवाय अन्य प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार है और निगम या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र में किसी प्रकार का हित रखनेवाले या प्राप्त करनेवाले व्यक्ति पर किसी स्टॉक, प्रमाणपत्र धारक के संबंध में एक्ज़िम बैंक द्वारा रखे जानेवाले किसी रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि मात्र या स्टॉक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी बात के कारण मात्र से किसी न्यास या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र धारक के न्यासी -- स्वरुप या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र के धारण से संबंधित किसी न्यासी -- दायित्व की सूचना से प्रभाव नहीं पड़ेगा.

5.(7) किसी पदधारी व्यक्ति द्वारा इस विनियम के अनुसरण में किए गए किसी आवेदन या निष्पादित प्रतीत होनेवाले किसी दस्तावेज़ पर कार्रवाई करने के पहले एक्ज़िम बैंक यह अपेक्षा करेगा कि इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि ऐसा व्यक्ति संप्रति उस पद का धारक है.

6. वचनपत्रों के रुप में जारी किए गए बांडों की न्यास/न्यासी/न्यासियों द्वारा धारण करने के संबंध में उपबंध :

6. (1) विनियम 4 के उप – विनियम 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक्ज़िम बैंक, आवेदक के अनुरोध पर तथा एक्ज़िम बैंक, आवेदक के अनुरोध पर तथा एक्ज़िम बैंक के दायित्व के बिना, विनिर्दिष्ट न्यास या उस न्यास के न्यासी (न्यासियों) के नाम में अथवा, जैसा भी मामला हो, आवेदक के वैयक्तिक नाम में उसे न्यासी के रूप में वर्णित करते हुए वचनपत्र के रूप में बांड जारी कर सकेगा, चाहे उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट अनुसार वह उस न्यास का न्यासी है या बिना ऐसे विनिर्देशों के वह न्यासी है.

6. (2) जहां कोई बांड वचनपत्र के रूप में धारक के वैयक्तिक नाम में है, एक्ज़िम बैंक द्वारा अपेक्षित फार्म में, उसके आवेदन करने पर तथा उस बांड के अभ्यर्पण करने पर एक्ज़िम बैंक वचनपत्र के रूप में नवीकृत बांड, इसके उप-विनियम (1) में अधिकथित रीति से, जारी कर सकेगा, बशर्ते कि --

6. (२) (i) इसके उपविनियम (6) के अनुसरण में एक्ज़िम बैंक द्वारा अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया हो; और
6 (2) (ii) बांड एक्ज़िम बैंक के पक्ष में बेचान किया गया हो.

6. (3) उपविनियम (1) के अधीन न्यास के किसी न्यासी द्वारा या तो अकेले या उस न्यास के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड धारित किया जा सकेगा.

6. (4) जहां कोई बांड वचनपत्र के रूप में बांड-धारक द्वारा न्यासी के रूप में बेचान तात्पर्यित हो अथवा जहां कोई मुख्तारनामा अ ,वा बांड-धारक द्वारा निष्पादित किए तात्पर्यित अन्य दस्तावेज़ एक्ज़िम बैंक को प्रस्तुत किए जाते है, एक्ज़िम बैंक को इस बात की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि बांड-धारक किसी न्यास अथवा दस्तावेज़ या नियमों के अधीन ऐसे बेचान करने और बेचान, मुख्तारनामे, दस्तावेज़ उसी प्रकार निष्पादित करने का अधिकारी है, और एक्ज़िम बैंक ऐसे बेचान पर, मुख्तारनामे पर या दस्तावेज़ पर उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा मानो निष्पादक बांड धारक हो, चाहे बांड धारक बेचान में, मुख्तारनामे में या दस्तावेज़ में न्यासी के रुप में उल्लिखित है अथवा नहीं है और चाहे वह न्यासी के रूप में अपनी हैसियत से बेचान करने या मुख्तारनामा या दस्तावेज़ निष्पादित करने के लिए तात्पर्यित है अथवा नहीं है.

(5) इन विनियमों में, किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि किसी न्यास अथवा दस्तावेज़ अथवा नियमावली के अधीन आने वाले न्यासियों और हिताधिकारियों के मध्य किसी न्यासी को किसी न्यास पर लागू होने वाली विधि के नियमों अथवा न्यास का गठन करने वाले दस्तावेज़ की शर्तों से भिन्न कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता

(6) इस विनियम के अनुसरण में, किसी न्यास के न्यासी होने के नाते किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले निर्यात-आयात बैंक ऐसे व्यक्ति से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा व्यक्ति संप्रति उस न्यास का न्यासी है.

7. धारक होने के लिए अपात्र व्यक्ति :

कोई भी नाबालिग व्यक्ति या सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया व्यक्ति बांडों का धारक बनने का हकदार नहीं होगा.

8. ब्याज की अदायगी :

8. (1) वचनपत्र के रूप में बांड पर निर्गम कार्यालय या बांड के विवरण पत्र में उल्लिखित एक्ज़िम बैंक के किसी दूसरे कार्यालय या इसके बैंकरों द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि बांड का धारक एक्ज़िम बैंक की अपेक्षानुसार औपचारिकताओं का पालन करे और बांड प्रस्तुत करे.

8. (2) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बांड पर एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी किए गए अधिपत्रों द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा. ब्याज की अदायगी के समय स्टॉक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु प्राप्तिकर्ता अधिपत्र के पीछे उसकी पावती रसीद देगा.

8. (3) एक्ज़िम बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में जारी किए गए बांडों पर ब्याज, एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों द्वारा अदा किया जाएगा. प्राप्तिकर्ता अधिपत्र के पीछे ब्याज प्राप्ति रसीद देगा.

9. वचनपत्र के रूप में बांड के खो जाने आदि पर क्रियाविधि :

9. (1) जिस किसी बांड के बारे में यह अभिकथित हो कि वह अंशतः या पूर्णतः खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत अथवा विरूपित हुआ है, उसके बदले उसकी अनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निर्गम कार्यालय के नाम भेजा जाएगा और उसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात :

9. (1) (क) . . . . . रुपए के . . . . . . प्रतिशत भारतीय निर्यात-आयात बैंक बांड, ... सं. . . . . ,

9. (1) (ख) पिछली किस छमाही का ब्याज अदा किया गया है,

9. (1) (ग) किस व्यक्ति को अन्त ब्याज अदा किया गया;

9. (1) (घ) किस व्यक्ति के नाम बांड जारी किया गया था (यदि ज्ञात हो);

9. (1) (ङ) बांड के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट होने, विकृत या विरूपित होने की परिस्थितियां; और

9 (1) (च) क्या बांड के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गयी थी.

9. (2) ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित पत्र भेजे जाएंगे :

9. (2) (क) यदि बांड रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया हो तो बांड के साथ प्रेषित पत्र की डाक घर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद;

9. (2) (ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि;

9. (2) (ग) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मेजिस्ट्रेट के सामने ली गयी शपथ का ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक बांड का अंतिम वैध धारक है, और रजिस्ट्रीकृत धारक के अधिकार का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ी साक्ष्य; और

9. (2) (घ) खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड का कोई बचा हुआ भाग या टुकड़े.

10. राजपत्र में अधिसूचना :—

वचनपत्र के रूप में रहनेवाले बांड या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी होने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की अधिसूचना भारतीय राजपत्र और उस स्थान जहां बांड खो गया, चुराया गया, नष्ट हुआ, विकृत या विरूपित हुआ, में कोई स्थानीय सरकारी राजपत्र है तो उसके लगातार तीन अंकों में आवेदक द्वारा प्रकाशित की जाएगी. ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित फार्म में या लगभग ऐसे फार्म में होगी जो परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो :-

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का . . . . रु. का . . . . प्रतिशत बांड संख्या . . . . जो मूलतः श्री . . . . के नाम पर है और उसका अंतिम बार स्वत्वधारी श्री . . . . को बेचान किया गया है जिसमे उसका किसी अन्य व्यक्ति के नाम कभी बेचान नहीं किया है, खो* गया है/चुराया गया है/नष्ट हो गया है/विकृत या विरूपित हो गया है, अतः इसके जरिये यह सूचना दी जाती है कि निर्गम कार्यालय में उपयुक्त बांड तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी रोक दी गयी है और इसके स्वत्वधारी के नाम पर इसकी एक अनुलिपि जारी किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जानेवाला है या किया गया है. जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वह न तो उपर्युक्त बांड को खरीदे और न ही उससे संबंधित कोई लेनदेन करे.

अधिसूचित करनेवाले व्यक्ति का नाम . . . .
निवास . . . .

* जो लागू नहीं उसे काट दें.

11. बांड की अनुलिपि जारी करना और उसके लिए क्षतिपूर्ति बांड लेना :

11. (1) विनियम 10 में नियमें निर्धारित अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यदि नियत अधिकारी को बांड के खो जाने, चोरी होने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में और आवेदक के दावे के औचित्य के संबंध में संतोष हो जाए तो वह विनियम 13 के अधीन प्रकाशित की जानेवाली सूची में इस बांड के विवरण को शामिल कराएगा और निर्गम कार्यालय को आदेश देगा कि-

11. (1) (क) यदि बांड का एक भाग ही खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विरूपित हुआ है और यदि उसका कोई ऐसा भाग प्रस्तुत किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो क्षतिपूर्ति के निष्पादित किए जाने पर जिसे इसके बाद उसके स्थान पर अनुलिपि बांड कहा गया है, विनियम 13 के अधीन सूची के प्रकाशन के तुरन्त बाद अथवा उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से लेकर जितनी अवधि प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझे उतनी अवधि की समाप्ति के बाद उस बांड के बदले में जिसका कोई भाग खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत या विरूपित हुआ है, आवेदक को अनुलिपि बांड जारी किया जाए और ब्याज की अदायगी की जाए ;

11. (1) (ख) यदि इस प्रकार खो गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड का कोई भी ऐसा भाग प्रस्तुत न किया गया हो जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो तो --

11. (1) (ख) (i) उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्षों के बाद और इसमें आगे निर्धारित पद्धति के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादित किए जाने पर, इसमें आगे बतायी गयी व्यवस्था के अनुसार चार वर्षों की अवधि समाप्त होने तक, आवेदक को इस प्रकार खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड के संबंध में ब्याज अदा किया जावे; और

11. (1) (ख) (ii) उक्त सूची प्रकाशन की तारीख से चार वर्षों के बाद आवेदक को इस प्रकार खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड के स्थान पर अनुलिपि बांड जारी किया जाए, परन्तु ख

11. (1) (ख) (ii) (I) जिस तारीख को बांड की वापसी अदायगी की जानी हो वह यदि उक्त चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पहले पड़ती हो तो पूर्वोक्त तारीख से छः सप्ताहोंके अंदर नियत अधिकारी बांड पर देय मूल राशि को डाकघर बचत बैंक में जमा रखेगा और उस राशि की उक्त बैंक में उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ आवेदक को उस समय अदायगी करेगा जब अनुलिपि बांड अन्यथा जारी किया गया होता, और

11. (1) (ख) यदि अनुलिपि बांड जारी किए जाने से पहले किसी भी समय मूल बांड का पता लग जाता है या निर्गम कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य किन्हीं कारणों से आदेश रद्द किया जाना चाहिए तो सारा मामला प्राधिकृत अधिकारी के पास और आगे विचारार्थ भेजा जाएगा और इस बीच इस आदेश से संबंधित सारी कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी. इस उपखविनियम के अधीन जारी किया गया आदेश इसमें उल्लिखित चार वर्षों की अवधि समाप्त होने पर अंतिम होगा बशर्ते कि इस बीच उस आदेश को रद्द या अन्यथा संशोधित नहीं किया गया हो.

10. (२) यदि प्राधिकृत अधिकारी को पर्याप्त कारण दिखाई पड़े तो वह किसी बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले किसी भी समय इस विनियम के अधीन जारी किए गए अपने आदेश में परिवर्तन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है और यह भी निदेश दे सकता है कि बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले की अंतरावधि को चार वर्षों से अधिक ऐसी अवधि तक बढ़ा या जाए जिसे वह उचित समझे.

10. (२) क्षतिपूर्ति बांड

(क) (1) जब क्षतिपूर्ति बांड उप-विनियम (1) (क) के अधीन निष्पादित किया जाए तब वह संबंधित ब्याज की रकम की दुगुनी राशि के लिए अर्थात् उस बांड पर प्रोद्भूत देय ब्याज की सारी पिछली रकम की दुगुनी राशि तथा उस अवधि में, जो बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले व्यतीत होनी चाहिए, उस बांड पर प्रोद्भूत देय ब्याज की सारी रकम की दुगुनी राशि के लिए होगा, और

(२) अन्य सभी मामलों में, क्षतिपूर्ति बांड के अंकित मूल्य की दुगुनी राशि तथा खण्ड (i) के अनुसार संगणित ब्याज की रकम की दुगुनी राशि के लिए होगा.

(ख) प्राधिकृत अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसा क्षतिपूर्ति बांड, केवल आवेदक द्वारा अथवा आवेदक और अपने द्वारा अनुमोदित एक या दो ऐसे जामिनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिन्हें वह उचित समझे.

12. स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी बांड के खो जाने, आदि पर क्रियाविधि :

(1) किसी ऐसे स्टॉक प्रमाणपत्र के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह अंशतः या पूर्णतः खो गया है, नष्ट हुआ है, विकृत अथवा विरूपित हुआ है उसकी अनुलिपि जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदनपत्र निर्गम कार्यालय के नाम भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित पत्र भेजे जाएंगे

12. (क) यदि स्टॉक प्रमाणपत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया हो तो स्टॉक प्रमाणपत्र के साथ प्रेषित पत्र की डाक घर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद;

12. (ख) यदि स्टॉक प्रमाणपत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपिः

12. (ग) मेजिस्ट्रेट के सामने ली गयी शपथ का ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक स्टॉक प्रमाणपत्र का वैध धारक है और स्टॉक प्रमाणपत्र न तो उसके कब्जे में है और न ही उसने उसे हस्तांतरित किया है, रेहन रखा है या अन्य प्रकार से उस पर कोई लेनदेन किया है: और

12. (घ) खो गये, चुराए गए, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित स्टॉक प्रमाणपत्र के कोई बचे हुए भाग या टुकडे.

1 (2) आवेदनपत्र में स्टॉक प्रमाणपत्र के खो जाने की परिस्थितियोंका उल्लेख किया जाएगा.

1 (3) यदि प्राधिकृत अधिकारी को स्टॉक प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में संतोष हो जाए तो वह मूल प्रमाणपत्र के बदले में उसकी अनुलिपि जारी करने का निदेश देगा.

13. सूची का प्रकाशन :

1३. (1) विनियम 11 में उल्लिखित की गयी सूची भारत के राजपत्र में अर्धवार्षिक रूप से जनवरी और जुलाई में अथवा उसके बाद सुविधानुसार शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी.

1३. (2) विनियम 11 के अधीन जिन बांडों के संबंध में आदेश जारी किया गया हो वे सभी बांड आदेश जारी किए जाने के बाद प्रकाशित होनेवाली पहली सूची में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद उन बांडों को बाद की प्रत्येक सूची में प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्षों की अवधि समाप्त होने तक बराबर शामिल किया जाएगा.

1३. (3) सूची में शामिल किए गए प्रत्येक बांड के संबंध में उसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात निर्गम का नाम, बांड की संख्या, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे बांड जारी किया गया था, किस तारीख से उस पर ब्याज देय होता है, अनुलिपि के लिए आवेदन करनेवाले का नाम, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज की अदायगी अथवा अनुलिपि जारी करने के लिए दिए गए आदेश की संख्या और तारीख और उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें वह बांड पहली बार शामिल किया गया था.

14. विकृत बांड को ऐसे बांड के रूप में निर्धारित करना जिसकी अनुलिपि का जारी किया जाना आवश्यक है :

यह बात प्राधिकृत अधिकारी के विकल्प के अधीन रहेगी कि वह विकृत या विरूपित बांड को ऐसे बांड के रूप में माने जिसकी विनियम 11 के अधीन अनुलिपि का जारी किया जाना अथवा विनियम 17 के अधीन केवल नवीकरण किया जाना आवश्यक है.

15. वचनपत्र के रूप में रहनेवाले बांड का नवीकरण करने की कब आवश्यकता होगी :

(1) निर्गम कार्यालय वचनपत्र के रूप में रहनेवाले बांड के किसी धारक से निम्नलिखित अवस्थाओं में वचनपत्र का नवीकरण कराने हेतु उस पर रसीद लिखने को कह सकता है :

(क) जब बांड के पीछे केवल एक और बेचान के लिए ही पर्याप्त जगह बची हो या जब कोई शब्द बांड पर वर्तमान बेचान या बेचानों के ऊपर लिखा हो ;

(ख) जब निर्गम कार्यालय के विचार से बांड फटा हुआ हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त या लिखाई से भरा हुआ हो या ठीक न हो ;

(ग) जब कोई बेचान साफ और स्पष्ट न हो या यथास्थिति प्राप्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ताओं के नाम न दर्शाता हो या बांड के पीछे के बेचान के खानों में से किसी एक खाने में न करके किसी और तरीके से किया गया हो ;

(घ) जब बांड पर देय ब्याज की राशि दस वर्ष या उससे अधिक समय तक आहरित न की गई हो ;

(ङ) बांड के पीछे दिए गए ब्याज के खाने पूरी तरह भर चुके हों या ब्याज आहरित करने के लिए बांड के प्रस्तुत किए जाने की तारीख को जिन छमाहियों का ब्याज देय हो गया हो, उनके साथ बांड के पीछे छपे खाली रहनेवाले खाने मेल न खाते हो ;

(च) जब ब्याज की अदायगी के लिए तीन बार मुखांकित हो चुकने के बाद बांड फिर मुखांकन के लिए प्रस्तुत किया गया हो : और

(छ) जब निर्गम कार्यालय के विचार में ब्याज की अदायगी के लिए बांड को प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति का हक अनियमित हो या पूर्णतया सिद्ध न हो.

(2) जब उप-विनियम (1) के अंतर्गत बांड का नवीकरण कराने का अधियाचन किया गया हो, तब उस पर देय ब्याज की अदायगी तब तक नहीं की जाएगी जब तक उस पर नवीकरण के लिए रसीद न लिख दी गयी हो और वास्तव में उसका नवीकरण न कर दिया गया हो.

16. किसी मृत एकमात्र धारक के बांड पर किस व्यक्ति के हक को मान्यता दी जा सकती है :

(1) किसी बांड के मृत एकमात्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी या अन्य हो) के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के अधीन बांड के लिए जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ऐसे व्यक्ति ही होंगे जिन्हें निर्गम कार्यालय बांड का हकदार होने की (प्राधिकृत अधिकारी से किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन) मान्यता दे सकता है.

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) धारा 45 में विहित किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों के नाम जारी किए गए, बेचे गए, या देय रहनेवाले बांड के मामले में एक से अधिक उत्तरजीवी या एक उत्तरजीवी और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद उसके निष्पादक, प्रशासक या अन्य कोई व्यक्ति ही जो बांड के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक हो, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्गम कार्यालय बांड का हकदार होने की (प्राधिकृत अधिकारी के किसी सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन) मान्यता दे सकता है.

(3) निर्गम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक उन्होंने यथास्थिति, भारत के किसी ऐसे सक्षम न्यायालय या कार्यालय से जिसका निर्गम कार्यालय के बदले अधिकार हो, प्रोबेट या प्रशासनपत्र प्राप्त न किया हो बशर्ते कि जिस मामले में निर्धारित अधिकारी अपने परिपूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे उसमें प्रोबेट या प्रशासनपत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व के प्रस्तुत किए जाने से, क्षतिपूर्ति की शर्त पर या अन्यथा ऐसी शर्तों पर जो भी उसे ठीक लगे, छूट देना, उसके लिए वैध होगा

17. नवीकरण आदि के लिए रसीद :

(1) निर्धारित अधिकारी के किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन, धारक के आवेदन पर निर्गम कार्यालय अपनी आज्ञा से --

(क) धारक द्वारा वचनपत्र या वचनपत्रों के रूप में रहनेवाले बांड या बांडों के सौंपे जाने पर और अपने दावे के औचित्य के संबंध में निर्गम कार्यालय को संतुष्ट करा देने पर, वचनपत्र या वचनपत्रों का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन कर सकता है, बशर्ते कि वचनपत्र या वचनपत्रों पर, यथास्थिति फार्म VI O VII या VIII में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(ख) वह वचनपत्र या वचनपत्रों को स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों में बदल सकता है बशर्ते कि वचनपत्र या वचनपत्रों पर निम्नलिखित बेचान कर दिया गया हो --
"भारतीय निर्यात-आयात बैंक को अदा किया जाए"; या

(ग) स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों का नवीकरण, उपविभाजन या समेकन कर सकता है बशर्ते कि स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों पर, यथास्थिति फार्म IX,X या XI में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(घ) स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों का वचनपत्र या वचनपत्रों में बदल सकता है बशर्ते कि स्टॉक प्रमाणपत्रों पर फार्म XII में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(ङ) एक श्रेणी के बांडों को दूसरी श्रेणी के बांडों में बदल सकता है बशर्ते कि --

(i) श्रेणियों के परस्पर परिवर्तन की अनुमति दी गई हो, और

(ii) ऐसे परिवर्तन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो.

(2) प्राधिकृत अधिकारी की आज्ञा से निर्गम कार्यालय उप-विनियम (1) के अधीन किसी बांड का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन करने के लिए आवेदक से अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या अधिक जामिनों के साथ फार्म XIII में क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करवा सकता है.

18. हक के संबंध में विवाद उठने पर बांड का नवीकरण :

जिस बांड के नवीकरण के लिए आवेदन किया गया हो यदि उस बांड की हकदारी के संबंध में विवाद हो तो, प्राधिकृत अधिकारी :

(क) विवाद से संबंधित किसी ऐसी पार्टी के नाम नवीकृत बांड जारी कर सकता है जिसने सक्षम अधिकार क्षेत्रवाले न्यायालय से ऐसे बांड का हकदार होने का अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया हो, अथवा

(ख) ऐसा निर्णय प्राप्त न कर लेने तक बांड का नवीकरण करने से मना कर सकता है.

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए "अंतिम निर्णय" का तात्पर्य उस निर्णय से है जिसकी अपील नहीं हो सकती अथवा उस निर्णय से है जिसकी अपील तो हो सकती है परंतु जिसके संबंध में विधि द्वारा स्वीकृत अवधि सीमा के भीतर अपील न की गई हो.

19. नवीकृत बांड के संबंध में बाध्यता आदि :

जब किसी व्यक्ति के नाम विनियम 11 के अधीन बांड की अनुलिपि जारी की गयी हो अथवा नवीकृत बांड जारी किया गया हो अथवा विनियम 17 के अधीन उप-विभाजन या समेकन होने पर नया बांड जारी किया गया हो तब इस तरह जारी किया गया बांड निर्यात-आयात बैंक तथा ऐसे व्यक्ति और तत्पश्चात उसके द्वारा हक प्राप्त करनेवाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नया करार माना जाएगा.

20. उन्मोचन :

जिस बांड या जिन बांडों की अवधि समाप्त होने पर उनकी अदायगी कर दी गई है या जिसके/जिनके बदले अनुलिपि, नवीकृत, उपखविभाजित या समेकित बांड जारी कर दिया गया है/दिए गए है उसके/उनके प्रति सारे दायित्व से एक्ज़िम बैंक के नीचे लिखे अनुसार उन्मोचन हो जाएगा –

(क) अदायगी के मामले में, जिस तारीख को अदायगी होनी थी उससे चार वर्ष बीत जाने पर ;

(ख) अनुलिपि बांड जारी करने के मामले में विनियम 13 के अधीन उस सूची के प्रकाशन की तारीख से जिसमें बांड का पहली बार उल्लेख किया गया था या विनियम 11 में उल्लिखित मूल बांड पर ब्याज की अदायगी की तारीख से, जो भी बाद की हो, चार वर्ष बीत जाने पर ;

(ग) नवीकृत बांड अथवा उप-विभाजन या समेकन होने पर जारी किए गए नये बांड के मामले में, उसके जारी होने की तारीख से चार वर्ष बीत जाने पर.

21. ब्याज का उन्मोचन :

बांड की शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति ऐसे बांड पर उस तारीख के बाद समाप्त हुई किसी अवधि के लिए ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिस तारीख को पहले पहल उस बांड पर देय रकम की मांग की जा सकती थी.

22. बांड का उन्मोचन :

(क) वचनपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित किसी बांड का मूलधन अदायगी के लिए जब देय हो जाए तब उस बांड पर उसके पीछे धारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक्ज़िम बैंक के उस कार्यालय में जहां उस पर ब्याज देय हो या निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

(ख) खाते में प्रविष्ट के रूप में धारित किसी बांड का मूलधन अदायगी के लिए जब देय हो जाए तब धारक द्वारा फार्म XIVमें सम्यक रुप हे हस्ताक्षरित रसीद उसके निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी.

23. एक्ज़िम बैंक की ओर से शक्तियों का प्रयोग :

एक्ज़िम बैंक द्वारा इस विनियमावली के अधीन प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग एक्ज़िम बैंक की ओर से एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक या महा प्रबंधक या उप महा प्रबंधक द्वारा या अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

24. विदेशी मुद्रा में बांड :

इस विनियमावली में निहित कोई बात उन बांडों या डिबेंचरों पर लागू नहीं होगी जो विदेशी मुद्रा वर्ग के हैं या विदेश में जारी किए अथवा बेचे गए हैं.

फार्म I (विनियम ३ (३) देखे)

स्टॉक प्रमाणपत्र हस्तांतरण का फार्म

मैं/हम .... एतद्वारा .... रूपए की राशि के ....
.. प्रतिशतवाले भारतीय निर्यात-आयात बैंक बांड, ... (वर्ष) .... की रू. .... की स्टॉक की राशि, जैसा कि इस लिखत पर मुखांकित है उसके अंश के रूप में और उस प्रोद्भूत ब्याज सहित मेरा/अपना ब्याज या शेअर उसके/उनके निष्पादकों, प्रशासकों या समनुदेशियों को सौंपता हूं/सौंपते हैं, अंतरित करता हूं/करते हैं और मैं/हम .....
.... (धारक का/(धारकों के नाम) उपर्युक्त स्टॉक का जिस सीमा तक वह मुझे/हमें हस्तांतरित किया गया है उसी सीमा तक उसे निर्बाध रुप से हस्तांतरित किया गया स्वीकार करता हूं/करते हैं.

मैं/हम .... (हस्तांतरी का/हस्तांतरियों के नाम) .... एतद्द्वारा यह प्रार्थना करता हूं/करते है कि एतद्द्वारा मुझे/हमें उपर्युक्त जो स्टॉक प्रमाणपत्र हस्तांतरित किए गए हैं उसके/उनके धारक/धारकों के रूप में मेरे/हमारे रजिस्टर कर दिए जाने पर पूर्वोक्त स्टॉक प्रमाणपत्र/पत्रों/पूर्वोक्त स्टॉक प्रमाणपत्र के जिस अंश तक वह मुझे/हमें अंतरित किया गया हो, उस अंश को मेरे/हमारे नाम (मों) पर नवीकृत/रूपांतरित कर दिया जाए.

* मैं/हम .... (धारक का/धारकों के नाम) एतद्द्वारा यह प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त हस्तांतरी (रियों) के एतद्द्वारा उसे/उन्हें हस्तांतरित किए गए स्टॉक के धारक (कों) के रूप में रजिस्टर कर दिए जाने पर पूर्वोक्त स्टॉक के प्रमाणपत्र का जो अंश उसे/उन्हें हस्तांतरित किया गया हो उसे मेरे/हमारे नाम पर नवीकृत कर दिया जाए.

इसकी साक्षी के रूप में** .... (हस्तांतरक) की उपस्थिति में .... एक हजार नौ सौ और .... के .... वें दिन को ऊपर उल्लिखित हस्तांतरक ने हस्ताक्षर किये.

पता : ....

हस्तांतरी : ....

पता : ....

.... **की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित हस्तांतरी ने हस्ताक्षर किये.

* यह पैराग्राफ केवल उस समय प्रयुक्त किया जाए जब प्रमाणपत्र का कोई अंश अंतरित किया गया हो.

** साक्षी के हस्ताक्षर, व्यवसाय, पता.

फार्म II (विनियम 3 (4) (ग) देखिए)

वचनपत्र के रूप में बांड को एक्ज़िम बैंक के पास खाते में प्रविष्ट में परिवर्तन कराने के लिए मांग-पत्र

तारीख .... 19 ....

प्रति :
प्रबंधक,
बांड अनुभाग
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
बम्बई.

प्रिय महोदय,

संदर्भ : ...... % एक्ज़िम बैंक -20 (... श्रृंखलाएं)

हम एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि वचनपत्र/वचनपत्रों के रूप में कुल .... रुपए के योग के, अंकित मूल्य के, संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध जारी किए गए एक्ज़िम बैंक के बांड हमारी संपत्ति है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें इन्हें एक्ज़िम बैंक द्वारा रखे जा रहे खाते में, प्रविष्टि के रुप में हमारे नाम में धारण करने की अनुमति दी जाए. हम एतद्द्वारा एक्ज़िम बैंक के पक्ष में विधिवत् बेचान किए संबंधित बांडपत्रक अभ्यर्पित करते है. खाते का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/के नाम, पदनाम और नमूना हस्ताक्षर यहां निम्नलिखित विवरण के अनुसार है/हैं.

इस संबंध में, हम इसके साथ आपके पक्ष में क्षतिपूर्तिविलेख, आपके प्रारुप के अनुसार संलग्न कर रहे हैं, जो विधिवत स्टाम्प लगा है तथा हमारी ओर से निष्पादित हैं.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें एक्ज़िम बैंक के पास खाते के रुप में बांडधारिता का प्रमाणपत्र और हमारी धारिता का आवधिक विवरण ऊपर दिए गए पते पर यथासमय भेजने की व्यवस्था करे.

कृपया प्राप्ति-सूचना दें.

भवदीय,

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

बांड पत्रक की अनुसूची
इससे संलग्न है

निम्नलिखित मूल्यवर्गों के बचनपत्र :

1. बांड पत्रक सं. .... दिनांक .... रु. .... (शृंखला)
2. बांड पत्रक सं. .... दिनांक .... रु. .... (शृंखला)
3. बांड पत्रक सं. .... दिनांक .... रु. .... (शृंखला)

बांड पत्रकों के अंकित मूल्य का योग रु. .... केवल

नमूना हस्ताक्षर .... सकल रूप से/संयुक्त रूप से/ दोनों अथवा उत्तरजीवी)
नाम 1. पदनाम
2. पदनाम
पता :

टेलीफोन : टेलेक्स :

अनुलग्नक : (1) कुल रु. .... मूल्य के बांड पत्रक
(2) क्षतिपूर्ति-विलेख

फार्म III विनियम 3 (4) (5) देखें

एक्जिम बैंक के पास खाते में धारित बांडों के बदले बांड पत्रक जारी करने के लिए मांग-पत्र

प्रति :
प्रबंधक,
बांड अनुभाग
भारतीय निर्यात-आयात बैंक.

प्रिय महोदय,

संदर्भ : ...... % एक्ज़िम बैंक बांड-20 — (. . . श्रृंखला)

हम एतद्द्वारा, एक्ज़िम बैंक द्वारा रखे खाते में प्रविष्टि के रूप में हमारे द्वारा धारित बांडों के संबंध में एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र प्रेषित कर रहे हैं.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बांड धारिताओं को, संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध ब्यौरों के अनुसार, वचनपत्र (वचनपत्रों) के रुप में परिवर्तन और हस्तांतरण किया जाए.

हम आपसे अनुरोध करते है कि इस संबंध में बांड-पत्रकों को, बांड की राशि जो कि बैंक द्वारा रखे खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रहती, के संबंध में जारी किए गए धारिता प्रमाणपत्र सहित हमारे उक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने की व्यवस्था करें.

कृपया प्राप्ति-सूचना दें.

भवदीय,

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

धारित बांड की अनुसूची

1. धारित प्रमाणपत्र सं. ...... दिनांक ...... रु. ...... (. . . श्रृंखला)
2. धारित प्रमाणपत्र सं. ...... दिनांक ...... रु. ...... (. . . श्रृंखला)
3. धारित प्रमाणपत्र सं. ...... दिनांक ...... रु. ...... (. . . श्रृंखला)

बांडों का कुल अंकित मूल्य रु. ...., जिसमें से, निम्नलिखित मूल्यवर्गों में बांड पत्रक जारी करने की व्यवस्था करें :

मूल्यवर्ग	संख्या		कुल अंकित मूल्य
(1) रु. 1000 प्रत्येक	×	= रु.	
(2) रु. 10,000 प्रत्येक	×	= रु.	

कुल .... रूपए के अंकित मूल्य के कुल .... पत्रक

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बांडों की शेष राशि को एक्ज़िम बैंक में रखें खाते में प्रविष्टि के रूप में रखना जारी रखें.

फार्म IV विनियम 3 (4) (छ) देखें)

एक्ज़िम बैंक के खाते में
प्रविष्टि के रूप में बांड के हस्तांतरण का फार्म

हम, ... एक्ज़िम बैंक के खाते में प्रविष्टि के रूप में बांडों के धारकों के रूप में, एतद्द्वारा ...... रूपए तक की अपनी धारिता जो कि हमारी बांड धारिता की कुल/अंश धारिता है, उस पर तारीख ... तक प्रोद्भूत ब्याज सहित, ... को और के पक्ष में अभ्यर्पित और हस्तांतरण करते है.

हम, ... अपनी इच्छा से उक्त बांड का हस्तांतरण अपने नाम में स्वीकार करते है.

साक्ष्य के रूप में हम अपने हस्ताक्षर आज .... को करते है.

श्री .... की उपस्थिति में
श्री .... (उक्त विक्रेता) ने हस्ताक्षर किए.

श्री .... की उपस्थिति में
श्री .... (उक्त विक्रेता) ने हस्ताक्षर किए

टिप्पणी : (1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिस राज्य में निष्पादित किया जाए उस राज्य के स्थानीय स्टाम्प अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) के अनुच्छेद 62 (ग) के अनुसार स्टाम्प लगाए जाए)

(2) एक्ज़िम बैंक की बहियों में हस्तांतरी का नाम दर्ज करने से पूर्व हस्तांतरी को एक्ज़िम बैंक द्वारा निर्धारीत औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा.

फार्म V विनियम 5 (2) (ख) (iii) देखिये)

स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किए गए बांड के नवीकरण की रसीद का फार्म

इसके बदले में . . . . के नाम . . . . रुपयों के लिए . . . . प्रतिशतवाले . . . . भारतीय निर्यात-आयात बैंक बांड, ... (वर्ष) का एक नवीकृत स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसका ब्याज भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ... (स्थान) . . . . द्वारा अदा किया जाएगा.

(रजिस्ट्रीकृत धारक के हस्ताक्षर)

फार्म VI (विनियम 17 (1) (क) देखें)

बांड का वचनपत्र के रूप में पुनर्नवीकरण करने के लिए परांकन का फार्म

इसके बदले में और इस पर देय ब्याज सहित भारतीय निर्यात आयात बैंक, ... (स्थान) . . . . द्वारा . . . . को देय पुनर्नवीकृत वचनपत्र प्राप्त हुआ.

धारक के . . . . (धारक का नाम) . . . . के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फार्म VII (विनियम 17 (1) (क) दखिये
बांड का वचनपत्र के रूप में उप-विभाजन के लिए परांकन का फार्म

इसके बदले में और इस पर देय ब्याज सहित भारतीय निर्यात आयात बैंक, ... (स्थान) .... द्वारा .... (धारक का नाम) .... को देय क्रमशः .... रु. के वचनपत्र प्राप्त हुए.

धारक के .... (धारक का नाम). .... के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.

फार्म VIII (विनियम 17 (1) (क) देखिये)
बांडों का वचनपत्र के रूप में समेकन के लिए परांकन का फार्म

इसके बदले में और इस पर देय ब्याज सहित भारतीय निर्यात आयात बैंक, ... (स्थान) . . . . द्वारा (इसके साथ समेकित किए जाने ने लिए अपेक्षित अन्य वचनपत्रों की संख्या और राशि तथा निर्गम का उल्लेख करते हुए) वचनपत्र या वचनपत्रों की संख्या के साथ समेकन द्वारा . . . . (धारक का नाम) . . . . को देय . . . . रु. का नया वचनपत्र प्राप्त हुआ.

धारक के . . . . (धारक का नाम) . . . . के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फार्म IX (विनियम 17 (1) (ग) देखिये)

स्टॉक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए परांकन का फार्म

इसके बदले में .... प्रतिशतवाले भारतीय निर्यात आयात बैंक बांड, . . (वर्ष) . . के लिए .... रुपयों का एक नवीकृत स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जो .... के नाम पर है और जिसका ब्याज भारतीय निर्यातऽआयात बैंक, ... (स्थान) .... द्वारा अदा किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकृत धारक/विधिवत्
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

फार्म X (विनियम 17 (1) (ग) देखिये)

स्टॉक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए परांकन का फार्म

इस स्टॉक प्रमाणपत्र के बदले में .... प्रतिशतवाले भारतीय निर्यात आयात बैंक बांड, ... (वर्ष) .... के क्रमशः .... रुपयों के .... स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए जिनका ब्याज भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ... (स्थान) .... द्वारा अदा किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकृत धारक/विधिवत्
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

फार्म XI (विनियम 17 (1) (ग) देखिये)

स्टॉक प्रमाणपत्रों के समेकन के लिए परांकन का फार्म

. . . . प्रतिशतवाले भारतीय निर्यातआयात बैंक बांड, ... (वर्ष) . . . . के क्रमशः . . . . रुपयों के संख्याओं वाले स्टॉक प्रमाणपत्रों के बदले में . . . . प्रतिशतवालेभारतीय निर्यातआयात बैंक, बांड . . . . (वर्ष) . . . . का . . . . रुपयों का एक स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसका ब्याज भारतीय निर्यातआयात बैंक, ... (स्थान) . . . . द्वारा अदा किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकृत धारक/विधिवत्
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

. . . .
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

फार्म XII (विनियम 17 (1) (ग) देखिये)

स्टॉक प्रमाणपत्रों को वचनपत्रों में बदलने के लिए परांकन का फार्म

इस स्टॉक प्रमाणपत्र के बदले में प्रति वचनपत्र .... रुपयों वाले .... वचनपत्र (और साथ में, शेष .... रुपयों के लिए एक नया स्टॉक प्रमाणपत्र) प्राप्त हुआ जिनका ब्याज भारतीय निर्यातऊआयात बैंक, ... द्वारा अदा किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकृत धारक/विधिवत्
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

फार्म [illegible] (विनियम [illegible]) ([illegible]) देखिए)

[illegible] आदि के लिए क्षतिपूर्ति-फार्म

इस विलेख से सर्वसाधारण को यह विदित हो कि हम .... (मुख्य बांड धारी का नाम) ....

श्री .... के सुपुत्र और ....

([illegible]) .... जो .... के निवासी है और ....

.... के निवासी है, तथा .... के सुपुत्र तथा .... (जामिन सं. [illegible])

निवासी है [illegible] जो .... के सुपुत्र तथा ....

[illegible] और हम में से प्रत्येक के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, और [illegible]

[illegible] भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 द्वारा गठित [illegible] बैंक (जिसे इसके आगे "उक्त एक्जिम बैंक" कहा गया है) को देय ....

[illegible] के लिए उक्त एक्जिम बैंक, उसके कतिपय मुख्तारों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के [illegible]

[illegible] है।

[illegible] प्रत्येक .... एतद्द्वारा उक्त एक्जिम बैंक को यह वचन देता हूं [illegible]

[illegible] उसके अधीन लिखित शर्तों को प्रभावित करनेवाला उक्त न्यायालय, [illegible]

[illegible] किया जाएगा [illegible] एक्जिम बैंक के अनुरोध पर [illegible]

[illegible] (संबंधी) अधिकार क्षेत्र के अधीन उक्त मुकदमा, इसके [illegible]

[illegible] किया जा सकता है, उस पर उक्त न्यायालय विचार कर सकता है।

[illegible]

.... (मुख्य बांड धारी का नाम) .... ने उक्त एक्जिम बैंक को पुनर्की [illegible]

[illegible] बांड (बांडों) के पुनर्नवीकरण/समेकन/उपविभाजन के लिए [illegible]

किया है

और [illegible]

.... के इसके नीचे की सभी शर्तों के अधीन तो सौभवक्षम और पर्याप्त [illegible]

[illegible] करने पर उक्त एक्जिम बैंक उक्त आवेदनपत्र स्वीकार [illegible]

[illegible]

और [illegible]

.... के अनुरोध पर उपर्युक्त [illegible]

.... और .... (मुख्य बांडधारी का नाम)

[illegible] (मुख्य बांडधारी का नाम) ....

[illegible] गए हैं

[illegible] .... (मुख्य बांडधारी का नाम)

[illegible] .... या उनमें से प्रत्येक [illegible]

[illegible] कोई भी समय-समय पर और इसके [illegible]

[illegible] बांड (बांडों) या उस (उन) पर देय किसी [illegible]

[illegible] या उनके पुनर्नवीकरण या उन पर देय [illegible]

[illegible] दावों और मांगों से और उनके लिए [illegible]

[illegible] जो उक्त एक्जिम बैंक को ऐसे किसी दावे या मांग के [illegible]

[illegible] करने के कारण या उक्त बांड (बांडों) या नवीकृत बांड [illegible]

[illegible] उसे उत्तरदायी होना पड़े, उक्त एक्जिम बैंक [illegible]

[illegible] क्षति से बचाएंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे तो उपर्युक्त लिखित [illegible]

[illegible] पूर्णतया मान्य और प्रभावी रहेगा।

[illegible]

[illegible] .... की उपस्थिति में ....

[illegible] किया गया और [illegible]

फार्म XIV (विनियम 22 (ख) देखें)

एक्ज़िम बैंक के पास खाते में धारित बांडों का उन्मोचन-फार्म

प्रति :
प्रबंधक,
बांड अनुभाग,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक.

प्रिय महोदय,

संदर्भ : .... / निर्यात-आयात बैंक बांड-२० (.......... शृंखला)

निर्यात-आयात बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित श्री .... (बांड धारक) के खाते में जमा .... रुपए (.................... रुपए केवल) के सामान्य अंकित मूल्य के उक्त बांड (बांडों) पर परिपक्वता की तारीख को अर्जित ब्याज सहित मूलधन राशि प्राप्त की.

यह प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य राशि उस पर परिपक्वता की तारीख को अर्जित ब्याज मेरी/हमारी बहियों में मल खाता है.

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

तारीख : ......
स्थान : ......